न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 09/2021 राजस्व अपील

1. रामस्वरूप पुत्र श्री जयनारायण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय सहायक वन संरक्षक दौसा दिनांक 28.09.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामस्वरूप प्रकरण संख्या 15/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री सी. एल. मीना, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 09.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के यहां एक इस्तगासा इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट ने वन खण्ड गोल–ए खसरा नम्बर 187, 295 रकबा 0.15 है. वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी दौसा की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा ने उक्त वनखण्ड गोल–ए स्थित राजकीय वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुये भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमित रकबे से बेदखल करते हुये पेनल्टी आरोपित कर दो माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 28.09.2020 पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट सहायक वन संरक्षक दौसा के समक्ष उपस्थित जरूर हुआ था परन्तु सहायक वन संरक्षक दौसा ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व सबूत का अवसर ही प्रदान नहीं किया। जिस भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताया गया है वह भूमि वन विभाग की नहीं है बल्कि अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर अपीलान्ट का काफी समय पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है। वन विभाग ने अपीलान्ट को कभी इस भूमि से बेदखल नहीं किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी से अपीलान्ट को जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। अपीलान्ट की भूमि को वन भूमि बताकर अपीलान्ट को उक्त निर्णय की आड में बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट का वर्तमान में अपीलान्ट किसी भी राजकीय वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय सहायक वन संरक्षक का निर्णय दिनांक 28.09.2020 निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि क्षेत्रीय वन अधिकरी सिकराय की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट वनखण्ड गोल ए स्थित खसरा संख्या 187 नया 295 रकबा 0.15 है. पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक 28.09.2020 पारित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित वन भूमि से बेदखल कर पेनल्टी कायम करने के साथ ही दो माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय की द्वारा की गई बेदखली एवं फसल नीलामी की कार्यवाही रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने वनखण्ड गोल–ए स्थित राजकीय वन भूमि खसरा संख्या 187 नया 295 रकबा 0.15 है. पर काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। जबकि अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट का वर्तमान में किसी भी वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण सहायक वन संरक्षक दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिये जाने बाबत् शपथ पत्र सहायक वन संरक्षक दौसा के समक्ष प्रस्तुत करने पर बाद जांच यदि अतिक्रमित वन भूमि पर से अपीलान्ट का अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित हो जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.09.2020 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रहेगा। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 28.09.2020 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा